

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा अकादमिक-दृष्टि एवं कार्य-योजना निर्धारण समिति

कार्यालयादेश क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-29/2017, दिनांक : 21.08.2017 द्वारा गठित अकादमिक-दृष्टि एवं कार्य-योजना समिति की 24 एवं 28 अगस्त, 2017 को संपन्न बैठकों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उप-सचिव (TE) द्वारा कुलपति को प्रेषित पत्र दिनांक 08.08.2017 तथा National Convention on Digital Initiatives for Higher Education (9th July, 2017) द्वारा निर्मित Action Plan 17-by-17 पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एवं केंद्रों को Action Plan 17-by-17 में प्रस्तुत दृष्टि के आधार पर विभागीय स्तर पर कार्य-योजना के निर्माण हेतु 10 विचारणीय बिंदुओं से युक्त परिपत्र पत्रांक 26/2004/ज.वि./5231/2017, दिनांक 30.08.2017 प्रेषित करके आग्रह किया गया कि वे अपनी योजनाओं से समिति को भी अवगत कराएँ, ताकि विश्वविद्यालय स्तरीय कार्य-योजना के निर्माण हेतु संस्तुतियाँ तैयार करने में सुविधा हो। समिति को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू-मुर्मु दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र, डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र, सूचना तथा भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, मनोविज्ञान विभाग तथा उर्दू विभाग से कार्य योजनाएँ प्राप्त हुईं। समिति ने इन्हें अपने विचार-विमर्श में सम्मिलित किया।

उपर्युक्त के आधार पर समिति ने अपनी अनुशंसाएँ निम्नानुसार तैयार कीं :

अकादमिक दृष्टि :

National Convention on Digital Initiatives for Higher Education (9th July, 2017) द्वारा निर्मित **Action Plan 17-by-17** के आधार पर शिक्षण, शोध एवं विस्तार कार्यक्रमों को नवाचारी स्वरूप प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय को उसके स्थापना-उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ाना तथा उसे हिंदी का महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाना ।

उपलब्धि-लक्ष्य एवं कार्य-योजना

क) 15 (पंद्रह) वर्ष में प्राप्य उपलब्धि-लक्ष्य :

- i) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम परीक्षा-योजना सहित ऑन लाइन उपलब्ध हों।
- ii) विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी माध्यम हेतु विकसित अनुवाद, भाषा, साहित्य और संस्कृति संबंधी पाठ्यक्रम स्वयं (SWAYAM) योजना में सम्मिलित हों और अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाए रखने संबंधी नीति से 'स्वयं' को अवगत कराने की योजना कार्यान्वित स्थिति में हो ।

- iii) विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर (और स्वयं की सहायता से भी) हिंदी माध्यम से पढ़ाए जा सकने वाले सभी ज्ञानानुशासनों से संबंधित पाठ्यक्रम विश्व भर के उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध कराए जा सकने वाली योजना कार्यान्वित हो चुकी हो, जो हिंदी माध्यम से इनके शिक्षण की दिशा में बढ़ रहे हैं।
- iv) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग द्वारा स्वयंप्रभा डी टी एच चैनल्स (SWAYAM Prabha DTH Channels) सुविधा के कक्षा-शिक्षण में उपयोग की योजना कार्यान्वित की जा चुकी हो।
- v) विश्वविद्यालय द्वारा शोध उपाधि हेतु कराया गया शोध-कार्य हिंदी और अंग्रेजी सहित समस्त दक्षिण एशियाई भाषाओं में शोध-गंगा पर उपलब्ध हो और यह योजना नियमित कार्यक्रम के रूप में संचालित की जा रही हो।
- vi) विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से संचालित शोधकार्यक्रम पूरी तरह विश्वविद्यालय के स्थापना-उद्देश्यों के अनुरूप हो और उसके अंतर्गत किया गया शोध कार्य हिंदी, अंग्रेजी तथा समस्त दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हो।
- vii) पुस्तकालय पूर्णतः डिजिटल हो तथा भारत और विश्व के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों से जुड़ा हो, ताकि आवश्यक होने पर पुस्तकों का आदान-प्रदान हो सके।
- viii) विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था (सामान्य प्रशासन, अकादमिक कार्य, परीक्षा कार्य आदि) ई-गवर्नेंस पद्धति द्वारा संचालित हो।
- ix) परीक्षा व्यवस्था को 'नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरी (NAD) से जोड़ दिया जाए।
- x) अन्य विश्वविद्यालयों (भारत और विश्व के) के साथ प्राध्यापक और विद्यार्थी आदान-प्रदान योजना कार्यान्वित कर दी जाए।
- xi) विश्वविद्यालय स्तर पर विद्युत-प्रकाश एवं ऊष्ण-जल की उपलब्धि पूर्णतः सौर-ऊर्जा पर आधारित हो।
- xii) अनुवाद एवं निर्वचन तथा भाषा विद्यापीठ को ऐसे विद्यापीठों के रूप में विकसित कर दिया जाए, जो अपनी ज्ञानानुशासनिक मर्यादाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठों के लिए कार्य करें। इसमें हिंदी माध्यम से शिक्षण कार्य की समस्याओं के समाधान, शिक्षण की नवाचारी योजनाएँ, प्रशिक्षण, अनुवाद के माध्यम से शिक्षण-सामग्री की उपलब्धता, आदि का समावेश हो।
- xiii) मानव विज्ञान के संग्रहालय को माध्य-भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए।
- xiv) डायस्पोरा, जनसंचार, रूपंकर कला और संस्कृति संबंधी नए संग्रहालयों की स्थापना की जाए।
- xv) स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय का विस्तार किया जाए और उसे संग्रहालय विज्ञान के शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
- xvi) प्रकाशन विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के न्यूनतम 500 (पाँच-सौ) कालजयी ग्रन्थों का प्रकाशन पूर्ण कर लिया जाए।
- xvii) स्वच्छ भारत अभियान तथा उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम पंद्रह गांवों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और पारंपरीण ज्ञान के आर्थिक व सामाजिक उपयोग में कुशल बनाया जाए।
- xviii) विश्वविद्यालय परिसर को पर्यावरण की दृष्टि से 'मॉडल इकाई' बनाया जाए।

ख) 07 (सात) वर्ष की अवधि में प्राप्य लक्ष्य योजना :

- i) प्रत्येक प्राध्यापक अपनी विशेषज्ञता के आधार पर न्यूनतम तीन पाठ्यक्रम **स्वयं** (SWAYAM) योजना में सम्मिलित कराए।
- ii) शिक्षण-कार्य डिजिटल और ई-लर्निंग आधारित बना दिया जाए। **स्वयं पाठ्यक्रम** (SWAYAM COURSE) तथा **स्वयंप्रभा डी टी एच चैनल्स** (SWAYAM Prabha DTH Channels) के उपयोग को सुनिश्चित कर दिया जाए।
- iii) सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या ई-पाठशाला पद्धति से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अन्य संस्थाओं को उपलब्ध हो जाए।
- iv) शोध-कार्य को संबंधित ज्ञानानुशासन के आधार पर योजनाबद्ध ढंग से संपन्न करवाने संबंधी कौशल प्राप्त कर लिया जाए।
- v) प्रत्येक प्राध्यापक न्यूनतम दो शोध परियोजनाएँ पूरी करे।
- vi) प्रत्येक प्राध्यापक न्यूनतम पंद्रह शोधपत्र प्रकाशित करे।
- vii) संकटापन्न भारतीय भाषाओं की क्षेत्राधारित सूची तैयार कर ली जाए और किसी एक क्षेत्र की संकटापन्न भाषाओं को लिखित और ध्वनि माध्यम से संरक्षित करके अध्ययन हेतु उपलब्ध करा दिया जाए।
- viii) विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी सहित भारतीय भाषाएँ सिखाने, उनके लिए हिंदी में शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने, विदेशों में हिंदी पढ़ाने वाले विदेशी और भारतीय अध्यापकों के प्रशिक्षण, भारतीय जीवन, इतिहास और संस्कृति के अध्ययन आदि के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित कर दिया जाए।
- ix) परीक्षा-प्रक्रिया विभाग केंद्रित बना दी जाए और उसे प्राध्यापक केंद्रित बनाने की दिशा में बढ़ा जाए।
- x) विभागीय पुस्तकालय डिजिटल कर दिए जाएँ।
- xi) विश्वविद्यालय को पूर्णतः आवासीय बना दिया जाए।
- xii) प्रदर्शनकारी कला विभाग को एक स्वतंत्र भवन उपलब्ध करा दिया जाए।
- xiii) विश्वविद्यालय के केंद्रों को अधिक अधिकार संपन्न बनाय जाए तथा उन्हें शिक्षण के साथ ही शोध व सामग्री संग्रह केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
- xiv) देश के अन्य भागों के साथ ही विदेशों में भी विश्वविद्यालय के केंद्र स्थापित किए जाएँ। सभी केंद्र ई-गवर्नेंस पद्धति द्वारा मुख्यालय से जुड़े हों।
- xv) स्वास्थ्य और खेल सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। एक इंडोर खेल स्टेडियम निर्मित किया जाए।
- xvi) निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 'पढ़ाई के साथ कमाई' (Learning with Earning) योजनाएँ कार्यान्वित की जाएँ। इस दृष्टि से लीला द्वारा कंप्यूटर के व्यावसायिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाए, मीडिया लैब द्वारा फिल्म संपादन प्रशिक्षण

दिया जाए, कम्युनिटी कॉलेज में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण का विस्तार किया जाए तथा कार्यालयों में कार्य के अवसरों की सूची तैयार की जाए।

ग) 03 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु कार्य-योजना :

- i) प्राध्यापकों को कक्षा-शिक्षण हेतु डिजिटल व ई-लर्निंग शिक्षण-प्रणालियों का अभ्यस्त बनाने और विद्यार्थियों में इनके व्यवहार के प्रति रुचि का विकास करने के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- ii) पाठ्यक्रम को प्रति वर्ष अद्यतन बनाने की व्यवस्था लागू की जाए।
- iii) पर्याप्त संख्या में कक्षाओं की व्यवस्था की जाए तथा सभी शिक्षण-कक्ष स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएँ।
- iv) प्रत्येक प्राध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से अपने अध्यापन विषय से संबंधित ई-पाठ निर्मित किए जाएँ और उनका रिकार्डिंग कराया जाए।
- v) विद्यार्थियों को विषय संबंधी सहायक अध्ययन सामग्री ई-माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए 'विभागीय ब्लॉग' के उपयोग पर भी सोचा जाए।
- vi) ई-संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक प्राध्यापक को लैपटॉप/नोटपैड उपलब्ध कराया जाए।
- vii) अंतर्विभागीय शिक्षण योजना को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू कर दिया जाए।
- viii) सभी वर्तमान प्रयोगशालाएँ विभागों की योजनाओं के अनुसार आवश्यक संसाधनों से युक्त बनाई जाएँ, अन्य विभागों को प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा सभी प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित कर्मी प्रदान किए जाएँ।
- ix) वर्तमान रिकार्डिंग स्टूडिओ और संपादन कक्षाओं को उन्नत व संसाधन युक्त बनाया जाए।
- x) प्रत्येक विभाग/केंद्र केंद्रीय पुस्तकालय के माध्यम से अपने यहाँ किए गए शोध-कार्य को 'शोध गंगा' पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पी-एच. डी. व एम. फिल. हेतु स्वीकृत शोध-प्रस्ताव विभागों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँ।
- xi) पी-एच. डी. व एम. फिल. हेतु प्राप्त शोध-प्रस्ताव ई-माध्यम से बाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित किए जाने की पद्धति प्रारंभ की जाए।
- xii) सभी विभागों द्वारा पूर्व विद्यार्थी मंच गठित कर दिए जाएँ और उनके द्वारा विभाग की अकादमिक व शोध संबंधी प्रगति में निभाई जा सकने वाली योजनाएँ निर्मित की जाएँ।
- xiii) अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक व्यवस्था (Mentoring System) अनिवार्यतः लागू कर दी जाए।
- xiv) केंद्रीय पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए दिन-रात खुले रहने वाले न्यूनतम 50 (पचास) कंप्यूटर युक्त अध्ययन-कक्षा की व्यवस्था की जाए। वहाँ पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था और चाय-कॉफी केंद्र की समुचित व्यवस्था की जाए।

- xv) 'महात्मा गांधी रेडियो केंद्र' नाम से कम्युनिटी रेडियो केंद्र प्रारम्भ किया जाए। उसके माध्यम से शैक्षणिक समाचार, जन-जाग्रति कार्यक्रम, नाटक, वार्ताएँ, हिंदी शिक्षण कार्यक्रम, विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रम, उपलब्धियाँ आदि प्रसारित की जाएँ।
- xvi) परिसर प्रसारण व्यवस्था प्रारंभ की जाए। इसके लिए रेडियो स्पीकर संजाल तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से प्रातः व सायंकाल संगीत और आवश्यक होने पर सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।
- xvii) स्वच्छ भारत अभियान तथा उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा नवोन्मेषी योजनाएँ निर्मित करके उनका कार्यान्वयन किया जाए।

समिति यह अनुशंसा भी करती है कि उपर्युक्त त्रि-स्तरीय कार्यक्रम के संचालन, नियंत्रण और सावधि मूल्यांकन हेतु कुलपति के नेतृत्व में एक स्थाई संचालक मंडल गठित किया जाए।